न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
133/2023	18.08.2023	23.08.2024

उनवान

1. भैरूलाल मुतबन्ना नन्दा जाति तेली निवासी कालियाखेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

-- वादी

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता गोपी जाति तेली निवासी कालियाखेडा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री राजुलाल पिता गोपी जाति तेली निवासी कालियाखेडा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्री जगदीश पिता बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. श्री उदयलाल पिता बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. श्री भंवर लाल पिता बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. श्रीमती बदामी पत्नि बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

--प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षी सं. 01 से लगायत 06 उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अपना वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम कालियाखेडा प०ह० रीछडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में खाता सख्या 07 में आराजी नम्बर 2120/2 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2123/3 रकबा 0.1012 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2463/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2490 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2610/2458 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 38 में आराजी नम्बर 2459 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार में मुख्य पुरुष नारायण जी थे, नारायण के 03 पुत्र गोपी, नन्दा व बालुलाल हुऐ गोपी के वारीस भैरूलाल, देवीलाल, राजुलाल पुत्र व सोहनी पत्नि हुऐ, सोहनी पत्नि फोत हो चूकी है, नन्दा के कोई जायन्दा सन्तान पुत्र व पुत्री नहीं हुई, केवल मात्र पत्नि ऐजी थी, बालुलाल के वारीस जगदीश, उदयलाल, भवर पुत्र व बदामी पत्नि हुई. नन्दा के कोई जायन्दा सन्तान पुत्र व पुत्री नहीं होने से नन्दा ने अपने जीवन काल में वादी भैरूलाल को, बादी के जायन्दा माता पिता जो कि नन्दा का भाई गोपी एवं गोपी की पत्नि सोहनी से बैसाख सुदी 03 सम्वत् 2058 को गोद लिया, गोद लेने देने की भौतिक प्रक्रिया अपनाई गई, गाँव, समाज एवं मौतबीर व्यक्तियो की उपस्थिति में गोद में बिठाकर, लेहरिया बंधाकर, गुड, धनियां बांटकर गोदपुत्र स्वीकार लिया था तभी वादी भैरूलाल गोदपुत्र की हैसियत से नन्दा एवं नन्दा की पत्नि ऐजी के पास ही रहता चला आ रहा था।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी भैरूलाल को नन्दा पिता नारायण ने अपने जीवन काल में गोद ले लिया था तभी से वादी भैरूलाल, नन्दा पिता नारायण के पास ही एक जायन्दा पुत्र की हैसियत से नन्दा एवं नन्दा की पत्नि ऐजी के साथ ही रहता चला आ रहा था तथा उसकी सेवा चाकरी वादी भैरूलाल ही करता चला आ रहा था, नन्दा पिता नारायण की मृत्यु दिनांक 15.05.2005 को हो जाने से नन्दा पिता नारायण का सामाजिक क्रियाक्रम एवं पिण्ड दान वादी भैरूलाल ने ही किया एवं नन्दा पिता नारायण की पगडी वादी भैरूलाल के माथे पर बंधाई गई, नन्दा पिता नारायण ने अपने जीवन काल में वादी के पक्ष में किसी प्रकार दस्तावेज, गोदनामा निष्पादित नहीं किया था, जिससे नन्दा पिता नारायण की मृत्यु के बाद नन्दा की पत्नि ऐजी ने दिनांक 29.01.2007 को एक गोदनामा 100/– रू0 के स्टाम्प पर गवाहान की मौजूदगी में निष्पादित किया।

वादी भैरूलाल के पक्ष में गोदपिता नन्दा पिता नारायण द्वारा बादी के पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेज, गोदनामा निष्पादित नहीं करने से, नन्दा पिता नारायण की मृत्यु दिनांक 15.05.2005 को हो जाने के बाद, नन्दा की पत्नि ऐजी ने अपने जीवन काल में दिनांक 29.01.2007 को एक गोदनामा 100/– रू0 के स्टाम्प पर गवाहान की मौजूदगी में निष्पादित किया था तथा वादी ऐजी के पास ही रहकर, ऐजी की सेवा चाकरी करता आ रहा था. ऐजी की मृत्यु दिनांक 03.07 2022 को जाने के बाद ऐजी का सामाजिक क्रियाक्रम भी वादी भैरूलाल ने ही किया, नन्दा पिता नारायण एवं ऐजी पत्नि नन्दा की मृत्यु के बाद उसकी समस्त आवासीय एवं कृषि जायदाद पर वादी भैरूलाल काबिज हुआ व उपयोग–उपभोग कर कास्त करता आ रहा है, वादी भैरूलाल के अपने समस्त दस्तावेजो में भी गोद पिता नन्दा का ही नाम दर्ज है, जिससे यह साबित है वादी भैरूलाल, नन्दा का गोदपुत्र है।

उक्त वादग्रस्त आराजियात पर नन्दा पिता नारायण एवं ऐजी पत्नि नन्दा की मृत्यु के बाद गोदपुत्र विरासतीय अधिकार से वादी भैरूलाल मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करता आ रहा है. लेकिन विवादग्रस्त आराजियात नन्दा पिता नारायण की विरासत से ऐजी पत्नि नन्दा के नाम पर दर्ज हुई, ऐजी पत्नि नन्दा की मृत्यु दिनांक 03.07.2022 को होने के बाद गोदनामा दिनांक 29.01.2007 के आधार पर वादी भैरूलाल के नाम पर नामान्तकरण खोला जाने हेतु पटवारी हल्का को कई बार निवेदन किया किन्तु पटवारी हल्का द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा किन्तु वादी के नाम पर गोदनामा के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोल कर, न्यायालय से आदेश लेकर आने की हिदायत दिनाक 15.07.2023 को दी तथा प्रतिवादीगण भी विवादग्रस्त भूमि को अपने नाम पर नामान्तकरण के जरिए नामान्तकरण खुलवा, वादी को मौके से बेदलख कर, अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने की धमकी दिनाक 08.08.2023 दी, जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।

उक्त वर्णित आराजी 2120/2 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2123/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2463/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2490 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2610/2458 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का मृतक खातेदार ऐजी पत्नि नन्दा तेली के बजाय वादी को एवं आराजी नम्बर 2459 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि में मृतक खातेदार ऐजी पत्नि नन्दा तेली 1/3 हिस्सा के बजाय वादी भैरूलाल मुतबन्ना नन्दा तेली को खातेदार कास्तकार घौषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी कराई जाकर, वादी का नाम अंकन कराया जाने की प्रार्थना की है।

वादी का वादपत्र पंजीबंद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। वादी एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 28.02.2024 राजीनामा प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है. नन्दा पिता नारायण तेली एवं ऐजी पत्नि नन्दा तेली के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से गोपी के पुत्र भैरूलाल को समाज, परिवार एवं मौतबीर व्यक्तियो की उपस्थिति में गोद लिया तभी से वादी नन्दा पिता नारायण तेली एवं ऐजी पत्नि नन्दा तेली के पास गोदपुत्र की हैसियत से ही रहता चला आ रहा था तथा उसकी सेवा चाकरी भी वादी भैरूलाल ने की थी तथा उनका सामाजिक क्रिया–क्रम भी वादी भैरूलाल ने किया था तथा उसकी आवासीय जायदाद एवं कृषि भूमि वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करता आ रहा है. ऐजी पत्नि नन्दा तेली ने वादी के पक्ष में दिनाक 29.01.2007 को गोदनामा 100/– रू० के स्टाम्प पर गवाहान की मौजूदगी में निष्पादित किया, जो सही है एवं गोदपुत्र के आधार पर ग्राम कालियाखेड़ा प०ह० रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 2120/2 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2123/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2463/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2490 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2610/2458 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का एवं आराजी नम्बर 2459 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा मृतक ऐजी पत्नि नन्दा तेली के बजाय वादी को खातेदार कास्तकार घौषित किया जाकर, राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम अंकन कराया जाने की डिक्री कराई जाने की प्रार्थना की है।

वादी के वाद पत्र एवं सलंग्न दस्तावेज का अध्ययन किया गया एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर विवेचन किया गया। ग्राम कालियाखेड़ा प०ह० रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 2120/2 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2123/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2463/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2490 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2610/2458 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि जमाबन्दी संवत 2069–2073 जमाबन्दी वर्ष 2077 में ऐजी पत्नी नन्दा तेली साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड एवं आराजी नम्बर 2459 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि ऐजी पत्नि नन्दा तेली 1/3 दर्ज रेकार्ड है। श्रीमती ऐजी पत्नी नन्दा तेली ने अपने जीवनकाल में एक गोदनामा भैरूलाल पुत्र गोपी तेली निवासी कालियाखेडा के पक्ष में दिनांक 29.01.2007 को सम्पादन किया है। इस गोदनामा के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमें ऐजी पत्नी नन्दा तेली के फौत हो जाने से राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को राजीनामा के आधार पर वादी अपने नाम पर दर्ज कराने का प्रथम दृष्टया अधिकारी है। अतः वादग्रस्त आराजियात में ऐजी पत्नी नन्दा तेली निवासी कालियाखेडा के नाम दर्ज भूमि को वादी भैरूलाल मुतबन्ना नन्दा तेली निवासी कालियाखेडा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु खातेदार काश्तकार घोषित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,92क, 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालियाखेड़ा प०ह० रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 2120/2 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2123/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2463/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2490 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2610/2458 रकबा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि में ऐजी पत्नी नन्दा तेली के बजाय वादी भैरूलाल मुत0 नन्दा तेली निवासी कालियाखेडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी नम्बर 2459 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा मृतक ऐजी पत्नि नन्दा तेली के बजाय वादी भैरूलाल मुत0 नन्दा तेली को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोकतानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करें, तदनुसार डिक्री जारी करें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या
133/2023

दायर दिनांक
18.08.2023

निर्णय दिनांक
23.08.2024

उनवान

1. भैरूलाल मुतबन्ना नन्दा जाति तेली निवासी कालियाखेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

--- वादी

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता गोपी जाति तेली निवासी कालियाखेडा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
2. श्री राजुलाल पिता गोपी जाति तेली निवासी कालियाखेडा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्री जगदीश पिता बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. श्री उदयलाल पिता बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा।
5. श्री भंवर लाल पिता बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्रीमती बदामी पत्नि बालुलाल जाति तेली निवासी कालियाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

---प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षी सं. 01 से लगायत 06 उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 23.08.2024 पीठासीन अधिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिकी दी जाती है :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,92क, 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालियाखेड़ा प०ह० रीछड़ा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 2120/2 रकबा 0.1138 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 2123/3 रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2463/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2490 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2610/2458 रकबा 0. 2276 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि में ऐजी पत्नी नन्दा तेली के बजाय वादी भैरूलाल मुत0 नन्दा तेली निवासी कालियाखेडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी नम्बर 2459 रकबा 0.0379 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा मृतक ऐजी पत्नि नन्दा तेली के बजाय वादी भैरूलाल मुत0 नन्दा तेली को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद कार्यवाही करें।

(उपखण्ड अधिकारी सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा